रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 16, 1983/चैत्र 26, 1905
No. 147] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 16, 1983/CHAITRA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1983

सं. 106/83-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 339(अ) :—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 25 के अन्तर्गत और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद 11क की उपमद सं. (4) के अधीन आने वाले गंधक को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देती है ।

[फा. सं. 355/78/83-सीमाशुल्क 1]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th April, 1983

NO. 106/83-CUSTOMS

G.S.R. 339(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts sulphur falling within Chapter 25 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and under sub-item No. (4) of item 11A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when imported into India, from the whole of the additional duty of customs leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act.

[F. No. 355/78/83-Cus-I]

सं. 107/83-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 340 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार

के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 187-सीमा-शुल्क तारीख 30 जुलाई, 1982 को विखण्डित करती है ।

[फा. सं. 358/1/82-सीमाशुल्क-1]

NO. 107/83-CUSTOMS

G.S.R. 340(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 187-Customs, dated the 30th July, 1982.

[F. No. 358/1/82-Cus-I]

सं. 108/83-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 341 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 31/83-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4
"3	शीर्ष सं० 08.01/13 का उप-शीर्ष सं० (4)	मूल्य का 150 प्रतिशत	मूल्य का 140 प्रतिशत"

[फ. सं. 358/1/82-सी. शु. 1]

एन. शशिधरन्, अवर सचिव

NO. 108/83-CUSTOMS

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31/83-Customs, dated the 1st March, 1983, namely :—

In the Table annexed to the said notification, for Sl. No. 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1	2	3	4
"3.	Snb-heading No. (4) of Heading No. 08.01/13	150 per cent ad valorem	140 per cent ad valorem"

[F. No. 358/1/82-Cus-I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983